[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2016 का विधेयक संख्यांक 17

[दि सिख गुरुद्वारा (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह 8 अक्तूबर, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1925 का पंजाब अधिनियम 8

धारा 49 का संशोधन

2. सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 49 के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जो--

(क) अपनी दाड़ी या केशों को कतरता या मूंडता है ;

(ख) धूम्रपान करता है ; और

(ग) अल्कोहाली पेयों का सेवन करता है ।;"।

धारा 92 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 92 के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जो--

(क) अपनी दाड़ी या केशों को कतरता या मूंडता है ;

(ख) धूम्रपान करता है ; और

(ग) अल्कोहाली पेयों का सेवन करता है ।" ।

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

केन्द्रीय सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 के द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. का.आ. 1190(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2003 द्‌वारा सिख गुरुद्‌वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम 8) की धारा 49 और धारा 92 के परंतुकों को उपांतरित किया था, जिसके द्‌वारा सिख गुरुद्‌वारा अधिनियम, 1925 के अधीन गठित बोर्ड और समिति के सदस्यों के निर्वाचनों में मतदान करने के लिए सहजधारी सिखों को समर्थ बनाने हेतु दी गई छूट को हटा दिया गया था । तथापि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 20 दिसंबर, 2011 के निर्णय द्‌वारा उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया था और इस प्रकार यह विनिश्चय उपयुक्त और सक्षम विधान-मंडल पर छोड़ दिया था कि क्या अधिनियम में संशोधन किया जाए अथवा नहीं ।

2. विधेयक सहजधारी सिखों को दी गई छूट को हटाने के लिए सिख गुरुद्‌वारा अधिनियम, 1925 की धारा 49 और धारा 92 के परंतुकों का 8 अक्तूबर, 2003 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ।

3. विधेयक उपरोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
14 मार्च, 2016

राजनाथ सिंह

उपाबंध

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 8) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

49. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति बोर्ड के सदस्य या सदस्यों के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्टर करने के लिए हकदार होगा, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और,-- निर्वाचक की अर्हताएं ।

(i)   *   *   *   *   *

(ii) ऐसा कोई सिख जो इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का है और जिसने अपना नाम ऐसे रीति में, जो विहित की जाए, मतदाता के रूप में रजिस्टर किया है :

परंतु ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जो--

(क) सहजधारी की दशा के सिवाय, अपनी दाड़ी या केशों को कतरता या मूंडता है ;

(ख) धूम्रपान करता है ;

(ग) अल्कोहाली पेयों का सेवन करता है ।

*   *   *   *   *   *

92. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति किसी समिति या किसी स्थानीय समिति के सदस्य या सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्टर करने के लिए हकदार होगा, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और,-- निर्वाचक की अर्हताएं ।

(i)   *   *   *   *   *

(ii) ऐसा कोई सिख, जो इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का है और जिसने अपना नाम ऐसे रीति में, जो विहित की जाए, मतदाता के रूप में रजिस्टर किया है :

परंतु ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जो--

(क) सहजधारी सिखों की दशा के सिवाय, अपनी दाड़ी या केशों को कतरता या मूंडता है ;

(ख) धूम्रपान करता है ; और

(ग) अल्कोहाली पेयों का सेवन करता है ।

*   *   *   *   *   *

GMGIPMRND—5059RS(CRC)—14-03-2016.